9. सहकारिता के क्षेत्र मेः–

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के आयोजन तथा प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से :–

(क) ऋण, बिक्री, उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए बहुद्देश्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए; और

(ख) बचत, लघु बचत और बीमा स्कीमों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन ।

10. महिला कल्याण के क्षेत्र में :–

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और महिला तथा बाल कल्याण केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, कला केन्द्रों तथा सिलाई–कढ़ाई केन्द्रों का अनुरक्षण ।

11. समाज कल्याण के क्षेत्र में :–

(क) ग्रामीण आश्रय की स्कीमों का क्रियान्वयन;

(ख) बदहाल भिखारियों की देख रेख;

(ग) समाज कल्याण के स्वैच्छिक सरंथानों को प्रायोजित करना और उनकी गतिविधियों का समन्वय तथा सहायता;

(घ) नशे की लत के खिलाफ प्रचार तथा प्रतिबन्ध लगाना ।

12. राहत के क्षेत्र में:–

छोटे तथा बढ़े स्तर के बाढ़, अग्नि दुर्घटना, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में तुरन्त राहत प्रदान करना ।

13. सांख्यिकीय संकलन के क्षेत्र में :–

ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सांख्यिकीय का संकलन तथा समन्वयन ।

14. ट्रस्ट के क्षेत्र में :–

द्वीप परिषद निधि से चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रमों के लिए ट्रस्ट का प्रबन्धन ।